संख्या-116/2023/3228/22-2-2022-17(1315)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरफराज पुत्र श्री शाकिर अली, निवासी-जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29945/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-04.08.2022) दिनांक-20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरफराज पुत्र श्री शाकिर अली, नीन्दड़ू हाल हाथीवाला मन्दिर, थाना-नहटौर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। मुकदमेंबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15-08-2007 को बंदी अपने 6 अभियुक्तों के साथ् मिलकर चाकू, छुरी व तबल से मारकर इफतखार उर्फ गुड्डू व इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-74/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(न्या0 सं0-2), बिजनौर के आदेश दिनांक 04-07-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं एस0टी0 नं0-37ए/2008, धारा-3(1)जी0 एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-5 बिजनौर के आदेश दिनांक 04-08-2017 द्वारा 03 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06-02-2022 तक 14 वर्ष 05 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मुकदमेंबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15-08-2007 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, छुरी, तबल से कारकर इफतखार उर्फ गुड्डू व इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरफराज पुत्र श्री शाकिर अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरफराज (बंदी संख्या-48739) पुत्र श्री शाकिर अली, निवासी-जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-116/2023/3228(1)/22-2-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-116/2023/3228/22-2-2022-17(1315)/2022

दिनांक 29 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरफराज पुत्र श्री शाकिर अली, नीन्दडू हाल हाथीवाला मन्दिर, थाना-नहटौर, जनपद- बिजनौर का निवासी है। मुकदमेंबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15-08-2007 को बंदी अपने 6 अभियुक्तों के साथ् मिलकर चाकू, छुरी व तबल से मारकर इफतखार उर्फ गुड्डू व इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-74/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(न्या0 सं0-2), बिजनौर के आदेश दिनांक 04-07-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं एस0टी0 नं0-37ए/2008, धारा-3(1)जी0 एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-5 बिजनौर के आदेश दिनांक 04-08-2017 द्वारा 03 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06-02-2022 तक 14 वर्ष 05 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मुकदमेंबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15-08-2007 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, छुरी, तबल से कारकर इफतखार उर्फ गुड्डू व इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरफराज पुत्र श्री शाकिर अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।